न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 130/2019
विमला बाई पत्नि गुरूदेव सिंह जाति सिख निवासी भोजपुर तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. सुरजीत सिंह पुत्र ज्वाला सिंह जाति सिख निवासी भोजपुर तहसील पहाडी (भरतपुर)राज0
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील पहाडी
3. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, तहसील पहाडी
4. शहीद पुत्र रहीमा जाति मेव निवासी जोतरी पीपल तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री मौहम्मद खाँ वकील प्रार्थीया
2. श्री सतीश बुन्देला वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4

दिनांक :–27/01/2022

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 15/8.24 हैक्टर बांके ग्राम भोजपुर तहसील पहाडी में स्थित है आराजी प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 की सम्मलित खातेदारी की आराजी है जिस में मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीया काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है और आज भी अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। आराजी मुत0 का सम्मलित खाता होने की वजह से काश्त करने में परेशानी रहती है क्यों कि काश्त करते समय आपस में तनाजा बना रहता है तथा राज लगान अदा करने में भी परेशानी रहती है प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 से विधिवत विभाजन कराने को कहा तो दिनांक 24/11/2019 को विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कराने से साफ इन्कार कर दिया । विधि वजह प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुत0 का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का मुताबिक हिस्सा अलग–अलग खाता एवं अलग–अलग राज लगान कायम करा पाने की अधिकारी है। प्रार्थीया आराजी मुत0 के अपने हिस्से को शान्ति पूर्ण तरीके से काश्त करती चली आ रही है और आज भी मौके पर प्रार्थीया का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त है आराजी सम्मलित होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 कब्जे काश्त प्रार्थीया में मजाहमत व मदाखलत करता है और आराजी को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करना चाहता है जिसकी धमकी दिनांक 24/11/2019 को ग्राम सोमका में स्पष्ट शब्दों में दी है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद से कभी भी संभव नही हो सकेगी । विधि वजह प्रार्थीया अप्रार्थी को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा जारी करा पाने की अधिकारी है। प्राईमा फैसाई केस एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति मुझ प्रार्थीया के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये चन्द रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जेकाश्त प्रार्थीया में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करे बिना विभाजन कराये आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल ना करे राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र महज तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है आराजी मुत0 के 32/1099 हिस्सा को मुझ अप्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 05/12/2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से खरीद की थी उसी दिन से आराजी पर कब्जा व काश्त है जिसकी भली भांति प्रार्थीया को जानकारी है तथा अब अप्रार्थी संख्या 1 का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीया महज अप्रार्थी संख्या 4 के नाम इन्तकाल दर्ज ना होने की वजह से जिसकी वजह से अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण प्रक्रियाधीन है। प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र कानून के विपरीत पेश किया गया है । अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण :–

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रार्थीयां द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। परन्तु विवादित आराजी प्रार्थीयां एवं अप्रार्थी के साथ साथ अन्य विभिन्न खातेदारों की सम्मिलित आराजी है। प्रार्थीयां ने दावा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध लाया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 04 को रजिस्ट्रर्ड बयनामा के आधार पर बेचान कर दिया है। अब अप्रार्थी संख्या 1 का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीयां ने नामान्तरण प्रकिया को रोकने की नियत से दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीयां द्वारा सभी काश्तकारों को दावे में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत दावे में आवश्यक तत्व है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह बखूबी प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थीयां एवं अप्रार्थी के साथ साथ अन्य विभिन्न खातेदारों की सम्मिलित आराजी है। प्रार्थीयां द्वारा सभी काश्तकारों को दावे में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीयां ने नामान्तरण प्रकिया को रोकने की नियत से दावा प्रस्तुत किया है। अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीया की तुलना में अप्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण में निहित है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)